

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डेटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानों और लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित की गई है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रुझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करती है।

रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार और जनगणना द्वारा किए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डेटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय-1 वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2017 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय संग्रहों की प्रवृत्तियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई हैं।

अध्याय-3 विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों और लेखों के अप्रस्तुतिकरण से संबंधित सरकार की एक अनुपालना सूची है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष था यद्यपि अनुमानित प्राक्कलन के तुलना में राज्य के अपने गैर-कर राजस्व और सहायता-अनुदान में कमी थी। वर्ष 2016-17 के लिए आदि नकदी शेष ₹98 करोड़ तक घटकर ₹527 करोड़ से ₹429 करोड़ हो गई।

(पैरा 1.2)

प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में रुझान: वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार से अनुदान तथा संघ करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 69.51 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में 71.67 प्रतिशत तक बढ़ गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय लेखों को वित्त पोषण के माध्यम से गैर-ऋण संसाधनों का अन्तरण राज्य सरकार के कुल व्यय के 60 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 62 प्रतिशत था जो केन्द्र के संसाधनों के अंतरण पर राज्य की निर्भरता की गिरावट को 2015-16 तक दर्शाती है, परन्तु वर्ष 2016-17 के दौरान आंशिक रूप से बढ़ी है।

(पैरा 1.2.1)

राज्य का कुल व्यय, ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान बढ़ कर क्रमशः ₹43,845 करोड़ से ₹48,174 करोड़, ₹7,425 करोड़ से ₹8,362 करोड़ तथा ₹36,420 करोड़ से ₹39,812 करोड़ हो गया।

(पैरा 1.2.2)

राज्य के अपने कर राजस्व में विशेष रूप से वस्तु बिक्री और सेवाओं पर कर में स्थिर वृद्धि देखी गयी जो वर्ष 2012-13 में ₹4,174 करोड़ से 2016-17 में ₹6,012 करोड़ तक बढ़ गया।

(पैरा 1.4.1)

विद्युत विभाग के शुल्क को संचयन करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था। लक्ष्यों के प्रति राजस्व के संचयन में ₹1,971 करोड़ की कमी थी तथा विद्युत खरीदारी पर व्यय के प्रति ₹3,362 करोड़ की कमी थी।

(पैरा 1.7.2)

कुल व्यय के विकासात्मक पूंजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 15.10 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 15.60 प्रतिशत रहा, जबकि उन्हीं वर्षों के दौरान कुल व्यय के विकासात्मक राजस्व व्यय का हिस्सा 47.60 प्रतिशत से बढ़कर 51.28 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 1.8.2)

एक करोड़ तथा उससे भी ऊपर के प्रत्येक 119 परियोजनाएं/निर्माण कार्य थे, जिसमें ₹550.39 करोड़ की कुल संस्वीकृत लागत शामिल थी, जिसे ₹601.02 करोड़ तक संशोधित किया गया, जो परियोजनाएं अपूर्ण थी तथा 31 मार्च 2017 तक इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹392.95 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

(पैरा 1.9.1)

राजकोषीय समेकन और ऋण/घाटे का विनियमन: 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत की सीमा के प्रति वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा उदय के साथ 5.34 प्रतिशत और उदय के बिना 4.13 प्रतिशत था।

(पैरा 1.13.1)

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण: वर्ष 2016-17 के दौरान 12 मामलों में ₹18,751.25 करोड़ के अनुमोदित प्रावधानों के प्रति ₹21,647.53 करोड़ का व्यय हुआ, फलस्वरूप प्रावधान ₹2,896.28 करोड़ तक बढ़ गया। इसके लिए राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(पैरा 2.3.1)

बजटिंग, बचत, अधिक व्यय तथा प्रावधान के बिना व्यय में निरन्तर त्रुटियां थीं।

(पैरा 2.3.2 एवं 2.3.8)

राज्य विधानमंडल के नियमितीकरण के लिए आवश्यकता वाला अधिव्यय 31 मार्च 2017 को ₹1,07,664.29 करोड़ था।

(पैरा 2.3.3)

वर्ष 2016-17 के दौरान, सहायता-अनुदान की ₹1,490.03 करोड़ की राशि ₹130.60 करोड़ की आर्थिक सहायता, ₹0.23 करोड़ वृत्तिका और छात्रवृत्ति ₹7.83 करोड़ के वेतन और ₹555.25 करोड़ अधिप्राप्ति की परिचालन लागत के अंतर्गत व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत संवितरित किए गए हैं जो राजस्व शीर्षों में उनकी लेखांकन की आवश्यकताओं के प्रति थे।

(पैरा 2.5.3)

वित्तीय रिपोर्टिंग: विभिन्न अनुदेयी संस्थानों से अनुदानों और ऋणों के प्रति उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असामान्य देरी पाई गई।

(पैरा 3.2 एवं 3.3)